न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2020

1 दुलीचन्द पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी डालनवास तहसील सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ हाल निवासी कासनी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रविन्द्र पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी डालनवास तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी (हरियाणा)।
2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 तहसीलदार लैण्ड होल्डर सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 09.10.2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मुकदमा उनवानी रविन्द्र बनाम दुलीचन्द मुकदमा नम्बर 160/2018 दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 160/2018 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 609 रकबा 4.02 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कासनी तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त जमीन के बाबत अदालत मातहत के समक्ष एक वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 05.07.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 09.10.2020 को अन्तिम रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 609 वाके ग्राम कासनी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 प्रत्येक का 1/2 हक हिस्सा है। उक्त जमीन में पुख्ता चाह मय कृषि विद्युत कनेक्शन है जिस विद्युत कनेक्शन का सम्पुर्ण खर्चा अपीलान्ट का लगा था। अदालत मातहत ने दिनांक 05.07.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की तब निर्णय में लिखा कि जमीन खसरा नम्बर 609 वाके ग्राम कासनी के मौके पर जाकर रास्ते का प्रावधान रखते हुये मौके व रिकार्ड के मुताबिक पक्षकारान की मौजुदगी में भौतिक बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। प्राथमिक डिक्री में अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार सुरजगढ़ को आदेशित किया था। तहसीलदार सुरजगढ़ मौके पर नही गया। तहसीलदार ने विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्ताव हेतु दिनांक 19.07.2019 को पटवारी हल्का को आदेशित किया है। पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विभाजन प्रस्ताव बिना क्षेत्राधिकार के है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की उपस्थित में नहीं बनाये। विभाजन प्रस्ताव गलत बनाये है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट को जमीन कब्जा के मुताबिक सही नही दी। अपीलान्ट को टेडी मेडी जमीन गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव में दी है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत का अवसर नहीं दिया। अदालत मातहत ने गैर मुमकीन चाह में रेस्पोडेन्ट को गलत रूप से हिस्सा दिया है। सम्पुर्ण चाह में अपीलान्ट का खर्च लगा है रेस्पोडेन्ट नं. 1 का पुख्ताचाह में कोई हक हिस्सा नहीं है। प्राथमिक डिक्री से अपीलान्ट को कोई एतराज नहीं इस कारण प्राथमिक डिक्री की अपील पेश नहीं की। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 09.10.2020 खारीज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2019 को तहसीलदार सूरजगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित नही किया गया है। विभाजन के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल के आज्ञापक प्रावधान दिये हुये है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार करेंगें। प्रस्तुत प्रकरण में इन आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री को अपास्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर